भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

सैन्य कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2857

11 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

सशस्त्र बलों में भ्रातृघात मामले

2857. एडवोकेट ए. एम. आरिफ:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र बलों में कितने भ्रातृघात मामले सामने आए;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क): गत तीन वर्षों में सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेनाओं में भ्रातृघात के मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	थलसेना	नौसेना	वायुसेना
2017	01	शून्य	शून्य
2018	01	शून्य	शून्य
2019	02	शून्य	01

(ख) और (ग): जी, हां। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान रक्षा संस्थान (डीआईपीआर) द्वारा किए अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, सरकार ने सैन्य दलों में तनाव कम करने की दिशा में कई कदम उठाए है जिनमें प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति, भोजन एवं वस्त्र की गुणवत्ता में सुधार, तनाव प्रबंधन में प्रशिक्षण, मनोरंजन संबंधी सुविधाओं का प्रावधान, बडी प्रणाली, छुट्टी संबंधी रियायत, वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंच, सीमावर्ती क्षेत्रों से सैन्य दलों को हटाने की सुविधाएं और विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना इत्यादि शामिल हैं।

*****